दंतेश्वरी मैया सहकारी शक्कर कारखाना मर्यादित बालोद
जिला–बालोद (छ.ग.)

निविदा प्रपत्र

पेराई सत्र–2019–20
(CRUSHING SEASON 2019-20)

// जेसीबी, हाईड्रोलिक ट्रेक्टर ट्राली एवं रापा के माध्यम से कार्य कराने हेतु //

(निविदा दिनांक 27.11.2019)

प्रबंध संचालक
दंतेश्वरी मैया सहकारी शक्कर कारखाना
मर्यादित बालोद, जिला–बालोद (छ.ग.)
फोन–07749–212201
टोल फ्री नं. 18002331255

फार्म शुल्क : 1000/–

<u>निविदा का विवरण</u>

तकनीकी भाग – एक **लिफाफा क्र. 01**

प्रति,

प्रबंध संचालक,

दंतेश्वरी मैया सहकारी शक्कर कारखाना मर्यादित बालोद जिला–बालोद(छ.ग.)

निविदा सूचना नं. 468 दिनांक 14.11.2019

1. फर्म का विवरण

1 संस्था का नाम एवं पता – ....

....

....

2 मालिक/प्रोपाईटर का नाम – **..**

..

3 फर्म का स्वभाव – ....

....

(शासकीय/पब्लिक/प्राईवेट/पार्टनरशीप/प्रोपराईटर)

4 कार्यालय का पता – ....

....

मोबाइल नं...

फैक्स नं..

5 संपर्क हेतु पता – ....

....

मोबाइल नं...

फैक्स नं..

6 अ) श्रम कार्य हेतु

(01) पंजीयन नंबर ....

(02) पेन नंबर ....

(03) जी.एस.टी. नं. ....

(04) पी. एफ. नं. ....

ब) जेसीबी/ट्रेक्टर से संबंधित कार्य – ....

(01) पेन नं. –..

(02) जी.एस.टी. नं. –..

(03) वाहन का आरटीओ एवं बीमा ....
(04) वाहन का फिटनेश ....
(05) वाहन चालक लाईशेस –..
फोन नं. –..
फैक्स नं. –..
ईमेल पता –..

2. अमानत राशि विवरण–

1. राशि रू...रसीद क्र..................................दिनांक............................
2. राशि रू..बैक ड्राफ्ट क्र.......................दिनांक....................................
3. जारीकर्ता बैंक का नाम...

3. नियम एवं शर्ते

1. निविदा प्रपत्र स्पष्ट (पठनीय)भरी जानी चाहिए। काट–छाट की दशा में लघु हस्ताक्षर अवश्य किया जावें।
2. जेसीबी/ट्रेक्टर संबंधी कार्य हेतु अमानत राशि रू. **50000/–** व श्रमिक नियोजित करने हेतु राशि रू. **50000/–** डी.डी. निविदा प्रपत्र के साथ प्रस्तुत करने होंगें।
3. कलेक्टर दर पर श्रमिक नियोजित होने की दशा में कमीशन और सर्विस टैक्स का भुगतान कारखाना द्वारा किया जावेगा, एवं नियमानुसार टैक्स की कटौती की जावेगी।
4. कार्य में लगने वाले जेसीबी, ट्रेक्टर हाईड्रोलिक ट्राली व रापा आदि सभी सामाग्री उपकरण 24 घंटे ड्राईवर सहित कारखाना में उपलब्ध रहेगा। (जो बिना प्रबंधन की सहमति एवं कार्य को छोड़कर बाहर नहीं जावेगा), एवं संबंधित कार्य संपादित कराने की जवाबदारी ठेकेदार की होगी। कारखानें में आवश्यकता पड़ने पर अन्यत्र भी जेसीबी/ट्रेक्टर का उपयोग किया जावेगा।
5. कार्य कारखाना में अधिकारियों के निर्देशन में संपन्न करना होगा। अनुशासनहीनता पाये जाने पर कार्य से पृथक किया जा सकता है।
6. जेसीबी/ट्रेक्टर में खपत होने वाले इंजन आयल व अन्य आयल एवं मरम्मत खर्च ठेकेदार को देना होगा।
7. प्रत्येक शिफ्ट के लिए ठेकेदार को जेसीबी/ट्रेक्टर हेतु ड्राईवर स्वयं को उपलब्ध कराना होगा। ड्राईवर लाईसेंस धारी एवं बीमाकृत होना चाहिए एवं लाईसेंस की छायाप्रति संलग्न की जायें।
8. जेसीबी/ट्रेक्टर में किसी भी प्रकार की खराबी आने पर तत्काल दूसरी जेसीबी/ट्रेक्टर की व्यवस्था ठेकेदार को करनी होगी।
9. जेसीबी/ट्रेक्टर ड्राईवर का बीमा अनिवार्य रूप से करना होगा, एवं उसका वेतन ठेकेदार को देना होगा।
10. ठेकेदार को कारखाना अधिनियम, श्रम अधिनियम एवं अन्य संबंधित नियमों का पालन करना होगा।

11. कार्य के दौरान सुरक्षा की व्यवस्था स्वयं को करना होगा।
12. जेसीबी/ट्रेक्टर का लागबुक दर्ज करना ड्राईवर की जिम्मेदारी होगी। जिसे संस्था के अधिकारी एवं स्टोर कीपर द्वारा प्रतिदिन प्रमाणित किया जावेगा।
13. कार्य प्रभावित होने की स्थिति में प्रति घंटा 5000/– आर्थिक दंड किया जावेगा। जो भुगतान बिल की राशि से कटौती की जावेगी।
14. संतोष जनक कार्य नहीं होने की स्थिति में किसी भी समय कार्य आदेश रद्द किया जा सकता है।
15. पेराई सीजन खत्म होने पर कार्य स्वतः समाप्त माना जावेगा, एवं कार्य ठेकेदार द्वारा पूर्ण न करने की स्थिति में भुगतान नहीं किया जावेगा।
16. कारखाना प्रबंधन उपर्युक्त के अलावा भी नियम/शर्ते लागू कर सकेगा। जो ठेकेदार को पालन करना अनिवार्य होगा।
17. निविदा को स्वीकार/अस्वीकार करने अथवा किसी भी प्रकार से विवाद की स्थिति में कारखाना प्रबंधन का निर्णय अंतिम और सर्वमान्य होगा।
18. कारखानें में कार्य प्राप्त होने पर श्रमिक नियोजन से संबंधित ठेकेदार कारखानें के मांग अनुसार श्रम विभाग का पंजीयन 15 दिवस के भीतर करवाकर कारखाना को प्रस्तुत करेगा।
19. उन कार्यो पर जिनका दर निविदा में एल–1 फर्म की दर का है, निगोसिएशन में उसी कार्य का दर अन्य फर्म द्वारा और कम दर प्रस्तुत किये गये है, उन कार्यो को निविदा में प्राप्त एल–1 दर वाली फर्म का प्रथम प्राथमिकता दी जावेगी। फर्मों के द्वारा कम दर पर कार्य करने में असमर्थता व्यक्त की जाती है, अथवा निर्धारित अवधि में कार्य नही करने पर उन कार्यो के वास्तविक निगोसियेशन एल–1 दर जिस फर्म ने प्रस्तुत किये है उन फर्म को कार्य हेतु आदेशित किया जायेगा।
20. श्रमिक ठेकेदार को श्रमिक ठेकेदारी अन्य स्थान पर किया गया कार्य श्रमिक नियोजन को एक वर्ष का कम से कम अनुभव हैं
21. किसी भी परिस्थिति में टेण्डर की स्वीकृत/अस्वीकृत रद्द करने का पूर्ण अधिकार कमेटी की ही होगी।
22. अनुबंध राशि रूपये 50/– का स्टाम्प पेपर में करना होगा।

घोषणा

कारखाना द्वारा उपरोक्तानुसार आमंत्रित निविदा में उल्लेखित नियम एवं शर्ते मेरे/हमारे द्वारा पढ़/समझ लिया है। जो मुझे मान्य है। अतः इस निविदा की व्यावसायिक भाग में मेरे द्वारा दर प्रस्तुत किया जा रहा हैं।

दिनांक............................. **निविदाकार का नाम**

हस्ताक्षर एवं सील

व्यावसायिक भाग—दो **लिफाफा क्र. 02**

जेसीबी/ट्रेक्टर रापा हाईड्रोलिक ट्राली एवं श्रमिकों के माध्यम से कार्य करने हेतु निविदा प्रपत्र।

प्रति,

प्रबंध संचालक
दं.मै.स.श.का.मर्या.बालोद

कारखाना पेराई सीजन 2019—20 के लिए आमंत्रित निविदा क्रमांक/श.का.बा./स्था./2019/468 दिनांक 14.11.2019 के निविदा प्रपत्र भाग में मेरे/हमारे द्वारा दी गई जानकारी पूर्णतः सत्य है एवं दिये गये नियम एवं शर्तों पर अपनी सहमति प्रदान करते हुए निम्नानुसार दर भर रहें/रहा है।

कार्य का विवरणः—

अ.	कारखाना के आरबीसी एवं समस्त स्थान से बगास को ट्रेक्टर रापा (डीजल सहित) एवं मजदूर से शिफ्टिंग एवं फिडिंग का कार्य करना, लकड़ी फिडिंग का कार्य करना। कारखानें की आवश्यकता के अनुसार कार्य पूर्ण करना ठेकेदार का दायित्य होगा। कार्यो के अनुरूप ट्रेक्टर लगाना अनिवार्य होगा। बगास जामिंग की स्थिति न हो।	दर (रू.) प्रति माह (अंकों में)................................ (शब्दों में)...............................
ब.	कारखाना के बॉयलर के समस्त स्थान के राख को शिफ्टिंग ट्रेक्टर ट्राली/हाईड्रोलिक ट्राली (डीजल सहित) एवं मजदूर के माध्यम से कारखाना के शेड से बाहर राख उठाव एवं शिफ्टिंग कार्य कारखाना द्वारा निर्देशित स्थान पर करना होगा। इस बाबत् कारखाना से मजदूर प्रदाय नहीं किया जावेगा। कार्य अपने साधन से पूर्ण करना है। कार्य पूर्ण करना ठेकेदार का दायित्य होगा। कार्यों के अनुरूप ट्रेक्टर लगाना अनिवार्य होगा। प्रतिशिफ्ट राख का उठाव करना अनिवार्य होगा।	दर (रू.) प्रति माह (अंकों में)................................ (शब्दों में)...............................
स.	प्रेसमड शिफ्टिंग ट्रेक्टर/हाईड्रोलिक ट्राली (डीजल सहित) एवं मजदूर के माध्यम से उठाव एवं शिफ्टिंग कार्य कारखाना द्वारा निर्देशित स्थान पर शिफ्टिंग करना होगा। कारखानें से मजदूर प्रदाय नहीं किया जावेगा। कार्य अपने साधन से पूर्ण करना है। कार्य पूर्ण कराना ठेकेदार का दायित्व होगा। कार्यो के अनुरूप ट्रेक्टर लगाना अनिवार्य होगा। स्पॉट पर प्रेसमड स्टॉक जाम नहीं होना चाहिए।	दर (रू.) प्रति माह (अंकों में)................................ (शब्दों में)...............................
द.	जेसीबी (डीजल सहित) द्वारा कारखाना के केनयार्ड में एकत्रित गन्ना केन कैरियर पर डालना एवं गाड़ी खाली करना तथा अन्य कार्य कारखाना प्रबंधन के निर्देशानुसार जेसीबी द्वारा पूर्ण करना होगा, 24 घंटे जेसीबी कारखाना में उपलब्ध रहेगा। केन केरियर में जाम की स्थिति पैदा न हो।	दर (रू.) प्रति माह (अंकों में)................................ (शब्दों में)...............................

नोट— **1. जितने दिन कार्य किया जावेगा। उसका माह पूर्ण न होने पर 31 से भाग देकर कार्य दिवस अनुसार किराया दिया जावेगा।**

2. उक्त समस्त कार्य के लिए डीजल कारखाना द्वारा नहीं दिया जायेगा।

निविदाकार का नाम
हस्ताक्षर एवं सील

E:\new tendar 2017-18/Jsebbi hai., trector, rapa